# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## ::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्रीमती अर्चना जांगिड़, प्रधानाचार्य राउमावि सरेचा, लूणी जिला जोधपुर का स्थानान्तरण राउमावि जालोड़ा, लोहावट जिला जोधपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती अर्चना जांगिड द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 12677/2021 अर्चना जांगिड बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2021 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने के आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के हृदय रोग से ग्रस्त होने को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन स्थान संशोधित कर राउमावि भटिण्डा, मण्डोर, जोधपुर/राउमावि रोहिला कल्ला, लूणी, जोधपुर अथवा राउमावि नंदवान, लूणी जिला जोधपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किये जाने का निवेदन किया गया।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। याचिकार्थी को जोधपुर जिले में ही स्थानान्तरित किया गया है किसी अन्य जिले अथवा दूरस्थ स्थान पर नहीं। याचिकार्थी राज्य सेवा की अधिकारी हैं और उन्हें एक ही स्थान पर बने रहने का कोई निहित अधिकार (VESTED RIGHT) नहीं है। विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में उन्हें राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। नियोक्ता द्वारा एक लोकसेवक को जहां भी पदस्थापित किया जाता है, वहां उसे कार्य करना होता है। अन्यत्र स्थानान्तरित/पदस्थापित किये जाने से उसके विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता। उक्तानुसार याचिकार्थी श्रीमती अर्चना जांगिड़ द्वारा की गई मांग स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

(कana राम)

आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

सत्यमेव जयते

**क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/अर्चना/12677/2021** दिनांकः 08/11/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक जोधपुर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लूणी/लोहावट जिला जोधपुर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती अर्चना जांगिड, प्रधानाचार्य राउमावि जालोडा, लोहावट जिला जोधपुर।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned with CamScanner